कार्यालयः नगर निगम, कटिहार।

सं० वि०— अंकेक्षण - 3-1/2011

2861

पत्रांक 2414 / न०नि०

प्रेषक; राम किशोर मिश्र,
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर निगम, कटिहार।

सेवा में,

वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी / अधिभार,
कार्यालय प्रधान महालेखाकार, सामान्य (अंकेक्षण), बिहार,
(स्थानीय लेखा परीक्षा, पटना–800001)

कटिहार, दिनांक 17 वीं ~~नवम्बर~~ दिसम्बर 2011ई०

विषय :– अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या–26 / 2011–12 अंकेक्षण अवधि– 2009–10 का अनुपालन प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक–एल०ए०,अधिभार / 123, दिनांक–28.06.2011

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में वित्तीय– 2009–10 में की गई अंकेक्षण के आपत्तियों का कंडिकावार अनुपालन करते हुए इसके साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाती है।

विश्वासभाजन,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर निगम, कटिहार।

ज्ञापांक 2414 / न०नि०, कटिहार, दिनांक 17.12.11

प्रतिलिपि :– उप–सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–01 / स्था० / अंके०–17 / 2011–4878, दिनांक–30.08.2011 के आलोक में अंकेक्षण अनुपालन प्रतिवेदन के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर निगम, कटिहार।

285

कार्यालय नगर निगम, कटिहार।

-: अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या-26/2011-12 अंकेक्षण अवधी 2009-10 का अनुपालन प्रतिवेदन :-

क्रं० सं०	अंकेक्षण पारा सं०	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त ब्योरा	आपत्ति का अनुपालन
1	2	3	4
1.	1	प्रस्तावना	कोई टिप्पणी नहीं।
2.	2	प्रशासन	कोई टिप्पणी नहीं।
3.	3	लेखा परीक्षा का क्षेत्र	अगले अंकेक्षण के समय उपस्थापित किया जाएगा।
4.	4	आंतरिक लेखा परीक्षा	नियमित रूप से वसुली आदि का जाँच की जाती है।
5.	5	पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।
6.	6(i)	अधिदृष्य (आय-व्यय)	कोई टिप्पणी नहीं।
	6(II)	अंत शेष -	कोई टिप्पणी नहीं ।
7.	7	लेखा परीक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ	सभी कंडिकाओं का विस्तृत विवरण कंडिकावार दे दी गयी है।
8.	8(i)	सरकारी अनुदान	कोई टिप्पणी नहीं।
	8(II)	निधियों का अवरोधन -	इस पर आवश्यक सलाह एवं निर्णय सरकार से प्राप्त की जाएगी।
9.	9	स्वीकृत एवं कार्यरत बल	कोई टिप्पणी नहीं।
10.	10	बजट प्राक्कलन	वित्तीय वर्ष- 2009-10 का आय-व्यय प्राक्कलन नगर परिषद बोर्ड द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या-2, दिनांक-17.08.2009 द्वारा विधिवत पारित किया गया है। अंकेक्षण दल के समक्ष अन्य कई वर्षों का आय-व्यय प्राक्कलन के साथ, ये भी था जिसे देखने में अंकेक्षक दल द्वारा चुक हुई होगी। इस प्रकार वगैर बजट का कोई खर्च नहीं किया गया है। अगले अंकेक्षण के समय इसे पुनः देखने हेतु रखा जाएगा।
11.	11	वार्षिक लेखा	अगेतर कार्रवाई की जा रही है, अगले अंकेक्षण के समय अवलोकन हेतु रखा जाएगा।
12.	12	बिचलन (16.18 लाख)	भूलवश राशि की निकासी बी.आर.जी.एफ. खाता से भुगतान नहीं कर कोषागार वयक्तिगत खाता से भुगतान किया गया था, जिसका बी.आर.जी.एफ. खाता से समायोजन कर कोषागार खाता में जमा कर दी गयी है। अगले अंकेक्षण के समय अवलोकनहेतु उपस्थापित किया जाएगा।
13.	13	अप्रचालित खाता	कोई टिप्पणी नहीं।
14.	14(I)	मांग एवं वसुली (मकान कर)	कोई टिप्पणी नहीं।
	14(II)	स्वास्थ्य कर की वसुली नहीं	कोई टिप्पणी नहीं। वित्तीय वर्ष 2011-12 से स्वास्थ्य कर की वसुली प्रारम्भ की गई है।
	14(III)	शिक्षा कर का कम वसुली	कोई टिप्पणी नहीं।

18/4/11

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर निगम, कटिहार।

15.	15	सरकारी भवन पर बकाया कर 126.43 लाख	कोई टिप्पणी नहीं।
16.	16	पेशा कर	कोई टिप्पणी नहीं।
17.	17	दुकान बकाया किराया (70.65 लाख)	कोई टिप्पणी नहीं।
18.	18(I)	सैरात	सैरातों से संबंधित संचिका में अंश भाग बाजार सं०-1 का भी संचिका एवं बीड शीट एकरारनामा के साथ उपस्थापित किया गया था। अंकेक्षक दल द्वारा कहीं देखने में चुक हुई होगी। बन्दोवस्त राशि एकरारनामा के अनुसार पूर्ण वसुली भी हुई है। अतएव अधिभार द्वारा वसुली करने का प्रस्ताव सही नहीं है। अगले अंकेक्षण में अवलोकन हेतु रखा जाएगा।
	18(II)	बन्दोवस्ती की राशि जमा नहीं	सभी बन्दोवस्तधारी से एकरारनामा के अनुसार राशि नगर निगम निधि में जमा है। जिसे अगले अंकेक्षण के समय अंकेक्षण दल के समक्ष अवलोकन हेतु उपस्थापित किया जायगा।
19.	19	गलत एकरारनामा के कारण राजस्व का हानी (1.18 लाख)	दिनांक-01.11.06 से 31.03.11 तक के अवधी के लिए मो. रमजानी आलम के साथ 29 स्थानों पर @7.50 प्रति वर्गफीट प्रति वर्ष की दर से तथा 27 बिजली खम्बों पर @100 रूपया प्रति वर्ष के लिए एकरारनामा कुल 47,700.00 रूपये पर विज्ञापन बोर्ड लगाने का किया गया था। @5% की वृद्वि एकरारनामा राशि अनुसार होनी है। वर्ष 2007 से @5% वृद्वि को जोड़ते हुए वर्ष 2009-10 तक का भुगतान मो. रमजानी द्वारा कर दी गई है। पुनः मो. रमजानी के साथ 427 जगह पर होर्डिंग बोर्ड लगाने के लिए दिनांक-01.04.2009 से 31.03.2011 तक के लिए 406 बिजली पोलों में 3'x2' के लिए @36/- रूपये वार्षिक एवं 21 होर्डिंग 20'x10' साईज के लिए @7.50 प्रति वर्गफीट की दर से एकरारनामा में उल्लेखित होना था। जो नहीं हो सकी थी। परन्तु देय राशि के अनुसार सम्पूर्ण राशि क्रमशः 17,750.00 रूपये डी.डी. द्वारा दिनांक-27.08.09 को तथा 1,67,544 रूपये एम.आर. द्वारा दिनांक-30.09.10 को वसुल कर नगर निगम निधि में कुल= 1,85,294.00 रूपये जमा करा ली गई है। ऐसी स्थिति में अधिभार द्वारा वसुली का प्रश्न अब नहीं उठता है। जो अगले अंकेक्षण के समय अंकेक्षण दल के समक्ष अवलोकनार्थ उपस्थापित किया जायगा।
20	20(I)	कम/नहीं जमा	कोई टिप्पणी नहीं। राशि नगर निगम निधि में जमा करा ली गई है। अगले अंकेक्षण के समय अंकेक्षण दल के समक्ष अवलोकन हेतु उपस्थापित किया जायगा।
	20(II)	कम/नहीं जमा	कोई टिप्पणी नहीं ।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर निगम, कटिहार।